नईदुनिया

Source:- www. naidunia.jagran.com
Date:- 12.03.2019

West Bengal News : एक करोड़ के हाथी दांत व उससे बनी दुर्लभ मूर्तियां जब्त

Publish Date:Tue, 12 Mar 2019 11:02 PM (IST)

एक करोड़ के हाथी दांत व उससे बनी मूर्तियों के साथ डीआरआई ने आरोपित तस्कर पिता-पुत्री को गिरफ्तार कर लिया है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की कोलकाता जोनल यूनिट की टीम ने तस्करी के प्रयास को नाकाम करते हुए हाथी दांत व उससे बनी दुर्लभ मूर्तियों की खेप पकड़ी है। इस सिलसिले में बाप-बेटी को गिरफ्तार किया है, जो विदेश में अवैध तरीके से वन्यजीव अंगों एवं मूर्तियों की तस्करी के कार्यों में संलिप्त थे।

डीआरआई के अनुसार, इनके पास से जब्त हाथी दांत व मूर्तियों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1.03 करोड़ रुपये है। गिरफ्तार तस्करों के नाम सुदेश चंद्र बाबू और उनकी बेटी अमिता एससी बाबू है। दोनों कोलकाता के रहने वाले हैं।

अधिकारियों के अनुसार, एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए डीआरआई की टीम ने सोमवार देर रात सांतरागाछी स्टेशन के पास कोना एक्सप्रेसवे और कैरी रोड जंक्शन के पास एक वॉक्सवैगन कार को रोककर वाहन में छिपाकर डिलीवरी के लिए कोलकाता लाए जा रहे हाथी दांत के साथ आरोपितों को पकड़ा। हाथी दांत का कुल वजन 3.144 किलोग्राम है, जिसका अनुमानित मूल्य 30.93 लाख रुपये है।

प्रारंभिक पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि कच्चे हाथी दांत, हाथी सूंड व इसकी हड्डियां एवं इससे तैयार कुछ मूर्तियां कोलकाता के राजडांगा मेन रोड में स्थित उनके आवासीय परिसर में रखे हैं। केरल से इन हाथी दांतों आदि को मंगाकर मूर्तियां तैयार कर इसे सिलीगुड़ी के रास्ते नेपाल भेजने की योजना थी। उनकी निशानदेही पर डीआरआइ टीम ने वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के साथ मिलकर राजडांगा में उनके घर की तलाशी ली तो विभिन्न देवी-देवताओं की 10 मूर्तियां, दो मूर्तियों का ढांचा, एक पैकेट ज्वेलरी, नौ पैकेट हाथी दांत के कटे हुए टुकड़े, चार पैकेट हाथी दांत का डस्ट और एक कंघी बरामद की गई। ये सभी हाथी दांते से बने हैं।

आवासीय परिसर से जब्त मूर्तियां और हाथी दांत के आइटम का कुल अनुमानित मूल्य 72.35 लाख रुपये है। दोनों मिलाकर कुल 1.03 करोड़ की मूर्तियां व हाथी दांत को जब्त किया गया है। प्राथमिक जांच में यह भी पता चला है कि सुदेश चंद्र बाबू को हाथी के अवैध शिकार के मामले में चार साल पहले केरल से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, वह एडामलेयर वन स्टेशन से फरार हो गया था। डीआरआइ ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।